खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट

7639. श्री रामजी लाल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में फसल की बिक्री के समय खाद्यान्न मंडियों से खाद्यान्नों के ढेर को देर से उठाने की वजह से खाद्यान्नों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार भंडारण क्षमता को और बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भंडारण क्षमता कितनी होगी और इस समय देश की राज्य-वार भंडारण क्षमता कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : फसल की बिक्री समय अनाज बाजारों (मंडियों) से खाद्यान्नों के उठान में कथित विलम्ब के कारण खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट के बारे में कोई सूचना नहीं है भारतीय खाद्य निगम मूल्य समर्थन योजना के अधीन पेश किए गए सभी खाद्यान्नों (अर्थात् गेहूं और धान) की तत्परता से खरीदारी कर लेता है ।

(ख) पिछले दो वर्ष में अर्थात् 1-4-93 और 1-4-95 के बीच भारतीय खाद्य निगम ने अपनी कुल भण्डारण क्षमता 19.4 मिलियन मीटरी टन से बढ़ाकर 27.4 मिलियन मीटरी टन कर ली है अर्थात इसमें लगभग 8 मिलियन मीटरी टन की वृद्धि हुई है ।

भारतीय खाद्य निगम अपनी भण्डारण क्षमता को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी कर रहा है :—

(1) उपभोक्ता राज्यों में गेहूं का भण्डारण करने के लिए कैप काम्प्लैक्सों को निर्माण करना ;

(2) भारतीय खाद्य निगम के इस्तेमाल के लिए गोदामों का निर्माण करने में अन्य प्राइवेट पार्टियों और अन्य सरकारी एजंसियों को शामिल करना ;

(3) वर्तमान योजना अवधि के दौरान अपने निर्माण कार्यक्रम में तेजी लाना । इसने वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 6 लाख मीटरी टन के प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य में से 3.14 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण पहले ही कर लिया है । शेष क्षमता का निर्माण वर्तमान और अगले वर्ष के दौरान करवाया जाएगा ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-4-1995 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्य-वार क्षमता का ब्यौरा दिया गया है । (नीचे देखिए)

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम के पास 30 मिलियन मीटरी टन से अधिक भण्डारण क्षमता हो जाने की आशा है ।

विवरण

1-4-1995 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के राज्यवार ब्यौरे :

(लाख मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता			कैप क्षमता			कुल जोड़
		अपनी	किराए की	जोड़	अपनी	किराए की	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.12	—	0.12	—	—	—	0.12
2.	आन्ध्र प्रदेश	11.43	11.14	22.57	—	1.20	1.20	23.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1.92	0.87	2.79	–	–	–	2.79
4.	बिहार	4.11	2.09	6.20	–	–	–	6.20
5.	गोवा	0.15	–	0.15	–	–	–	0.15
6.	गुजरात	4.91	3.44	8.35	1.89	2.63	4.52	12.87
7.	हरियाणा	7.71	9.37	17.08	3.04	0.06	3.10	20.18
8.	हिमाचल प्रदेश	0.09	0.16	0.25	–	–	–	0.25
9.	जम्मू और कश्मीर	0.72	0.13	0.85	0.13	–	0.13	0.98
10.	कर्नाटक	2.39	1.72	4.11	0.14	–	0.14	4.25
11.	केरल	5.25	0.18	5.43	–	–	–	5.43
12	मध्य प्रदेश	8.11	7.10	15.21	0.03	1.48	1.51	16.72
13.	महाराष्ट्र	11.77	4.96	16.73	1.40	0.85	2.25	18.98
14.	मणिपुर	0.12	0.01	0.13	–	–	–	0.13
15.	मेघालय	0.10	0.07	0.17	–	–	–	0.17
16.	मिजोरम	0.10	0.05	0.15	–	–	–	0.15
17.	नागालैण्ड	0.08	0.10	0.18	–	–	–	0.18
18.	उड़ीसा	2.54	1.74	4.28	–	–	–	4.28
19.	पंजाब	20.52	37.73	58.25	4.57	16.55	21.12	79.37
20.	राजस्थान	7.07	3.26	10.33	0.95	6.12	7.07	17.40
21.	सिक्किम	0.07	0.02	0.09	–	–	–	0.09
22.	तमिलनाडु	5.88	2.20	8.08	–	–	–	8.08
23.	त्रिपुरा	0.17	0.18	0.35	–	–	–	0.35
24.	उत्तर प्रदेश	14.76	12.91	27.67	2.66	3.11	5.77	33.44
25.	पश्चिम बंगाल	8.51	3.76	12.27	–	–	–	12.27
26.	चंडीगढ़	0.40	0.49	0.89	0.03	0.21	0.24	1.13
27.	दिल्ली	3.54	0.15	3.69	0.12	–	0.12	3.81
28.	पांडिचेरी	0.41	–	0.41	–	–	–	0.41
		122.95	103.83	226.78	14.96	32.21	47.17	273.96*

नोट: *इसमें केन्द्रीय भन्डारण निगम और राज्य भण्डागार निगमों से किराए पर ली गई 56.33 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल हैं ।